

29/11/22

पहुँचाया करीबन उपस्थित। उपनि-फ  
 जवाब देहु वकील वादी को  
 फाफि अवसर दिजे जाने के  
 बाद की जाने द्वारा उपनि-फ  
 जवाब देना नहीं किया जा रहा है।  
 इससे स्पष्ट है कि वादी एवं  
 वकील वादी अपने वाद के उचित  
 उम्मीद नहीं है।

कि: वादी का वाद उदम  
 चलना क्रिदेशा 09 सिगन 05 CPC  
 के तहत इसी तरह पर व्यापक  
 किया जाता है। (पडावकी) फाफि  
 उमाट सेवर फाफि सेवर है।

सहायक कलक्टर  
 (SDO), बाड़मेर